न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 136/2017/223 आर टी ए

1. सुमन पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी भनाई तहसील भादरा।
2. परमेश्वरी पत्नि स्व. महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी भनाई तहसील भादरा।

––अपीलांटस

बनाम

1. ईश्वरसिंह पुत्र रामु जाति जाट निवासी भनाई तहसील भादरा।
2. हवासिंह पुत्र रामु जाति जाट निवासी भनाई तहसील भादरा।
3. गुडडी पत्नि स्व. बनवारी जाति जाट निवासी भनाई तहसील भादरा।
4. सतवीर पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी भनाई तहसील भादरा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.16 न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा प्र0सं0 107/2014 अनवानी ईश्वरसिंह बनाम हवासिंह आदि

उपस्थित :–
श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांकः–13.04.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर रोही मौजा भनाई तहसील भादरा के खसरा नं. 370/1 की 4.7040 है0, खसरा नं. 446/1 की 4.2370 है0 संयुक्त खाते की भूमि हेतु खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादपत्र स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने रोही मौजा भनाई तहसील भादरा के खसरा नं. 370/1 की 4.7040 है0, खसरा नं. 446/1 की 4.2370 है0 संयुक्त खाते की भूमि हेतु खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अपीलांट ने कांउटर क्लेम प्रस्तुत कर उपरोक्त दोनो खसरे जात मे खसरा नं. 370/1 व 446/1 की भूमि अपना हक व हिस्सा की भूमि का खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त खाता तकसीम किये जाने हेतु निवेदन किया था तथा काउंटर क्लेम के समर्थन मे परमेश्वरी के ब्यान करवाये गये थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र एक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा की भूमि यानि खाता सं. 484/457 के खसरा नं. 370/1 मे भाग 5 की 2.235 है0 भूमि खाता विभाजन वाद की अन्तिम डिक्री अपीलांटस के पक्ष मे कर दी। जबकि खाता सं. 484/457 के खसरा न. 446/1 की भूमि अपीलांटस को बंटवारा मे 1 ईंच भी भूमि नही दी है। खसरा नं. 446/1 की भूमि मे अपीलांटस की करीबन 22–23 वर्षो से पक्के रिहायशी मकान मय ढाणी बने हुये है जिसमे अपीलांट अर्सा दराज से निवास करते आ रहे है।

4. राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार नियम 19 सी मे प्रत्येक भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा है जिसके अनुसार किसी भी पक्षकार सुपीरियर यानि विशिष्ट भू–भाग का कब्जा नही सौंपा जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे विशिष्ट भू–भाग का कब्जा रेस्पो0 को सौंपा गया है जो उक्त विधिक प्रावधानो की अवहेलना है। विचारण न्यायालय ने उक्त कांउटर क्लेम प्रस्तत होने व साक्ष्य अपीलांट प्रस्तुत होने के बावजूद भी वाद मे कोई तनकीयात कायम नही की।विचारण न्यायालय ने खाता विभाजन की रिपोर्ट तैयार करवाते समय अपीलांटस को कोई सूचना नही दी और ना ही तजवीज तकसीम रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांटस को कोई नोटिस दिया । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.16 का पूर्व मे अपीलांटस को कोई ज्ञान नही था। अभिभाषक द्वारा प्रतिवादी/अपीलांटस को हिदायत दी गई थी कि विभाजन रिपोर्ट आने पर काफी समय लगेगा आपको हर पैशी पर आने की जरूरत नही है आपको अन्तिम डिक्री होने पर सूचित किया जावेगा। अपीलांटस को उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का कोई ज्ञान नही था तथा अभिभाषक ने भी कभी कोई सूचना अपीलांटस को नही दी। दिनांक 04.05.17 का रेस्पो0 वाद भूमि म से अपीलांट को बेदखल करने की कोशिश की तथा कहा कि उक्त भूमि की खाता विभाजन की डिक्री करवाई गई जिसके अनुसार उक्त भूमि रेस्पो0 को प्राप्त हुई है। इसलिये ज्ञान से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के नियम 18 ता 21 व आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की अवहेलना मे बिना किसी क्षेत्राधिकार के पारित है जिस पर कोई मियाद अवधि लागू नही होती है। फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता अपीलांटस ने अपनी बहस के समर्थन मे आरबीजे 2008 पेज 761, सीसीसी 2011(2) पेज 13, आरबीजे 2004 पेज 207, आरआरटी 2014 (1) पेज 258, आरबीजे 2000 पेज 195, आरएलडब्ल्यू 2010 (2) पेज 1347, आरआरटी 2016 (2) पेज 1350, आरआरटी 2016 (2) पेज 374, सीसीसी 2010 (3) पेज 374, एआईआर 1967 पेज 109 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर रोही मौजा भनाई तहसील भादरा के खसरा नं. 370/1 की 4.7040 है0, खसरा नं. 446/1 की 4.2370 है0 संयुक्त खाते की भूमि हेतु खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादपत्र स्वीकार किया गया। अपीलाधीन निर्णय अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति मे एवं विधिक प्रावधानानुसार विधि सम्मत पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान अपीलांटस को निर्णय व डिक्री पारित होने की दिनांक से ही रहा है। अपीलांट अपनी उदासीनता के कारण अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को कन्डोन नही करवा सकता है और ना ही ज्ञान पूर्व मे नही होने का आधार ले सकता है क्योंकि अपीलांटस विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। पक्षकार स्वयं को सजग रहकर प्रकरण मे पैरवी करनी होती है लगभग 365 दिवस से अधिक की लापरवाही पूर्व देरी मात्र अधिवक्ता द्वारा सूचित ना किये जाने का मिथ्या आधार पर कन्डोन योग्य नही है। ऐसी स्थिति मे आवेदन पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम अपीलांटस खारिज योग्य है। अतः आवेदन पत्र खारिज किया जाकर अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत की गई होने के आधार पर ही खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे

Web Copy - Not Official

आरआरटी 2015 वेज 232, आरबीजे 2017 पेज 122, आरआरटी 2017 पेज 117 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नही किया है तथा ना ही विभाजन प्रस्ताव बाबत अपीलांटस को कोई सूचना दी गई। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान किये बिना ही तथा विभाजन प्रस्ताव हेतु अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई तथा अपीलांटस को उक्त दोनो खसरो मे भूमि मे स्थित है परन्तु अपीलाधीन निर्णय मे केवल एक ही खसरे मे अपीलांटस को भूमि दी गई। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अनुसार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की वृहद् पीठ के आदेश दिनांक 26.04.2017 के द्वारा विभाजन के दावो मे प्राथमिक डिक्री के अनुक्रम मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 20 के प्रावधानो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर पक्षकारो की उपस्थिति मे अधीनस्थ कार्मिको यथा पटवारी/भू–अभिलेख निरीक्षक के सहयोग से तैयार कर स्वयं के हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित करते हुए संबंधित सहायक कलैक्टर/उपखण्ड अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के न्यायालयो को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशो की पालना नही करने की स्थिति मे अर्थात तहसीलदार स्वयं के द्वारा तैयार नही की गई रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पुनः लौटाये जाने के निर्देश प्रदान किये है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार अधीनस्थ कार्मिको यथा पटवारी/भू–अभिलेख निरीक्षक के सहयोग से तैयार कर स्वयं के हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित करते हुए संबंधित सहायक कलैक्टर/उपखण्ड अधिकारी के को प्रेषित करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 11.05.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official